

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक (कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए), 01 स्वाभाविक मृत्यु में ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) एवं 02 आशिक निःशक्तता के मामले में ₹ 75000/- (पचहतर हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 205000/- (दो लाख पाँच हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

| क्र. सं. | मृतक/दावेदार, उप/ नियोजन कार्यक्रम, कोटि | आधित कार्यक्रम/ संस्था/परिवार कार्यक्रम, कोटि | विलापिकारी/श्रम भौतिक कार्यक्रम/ दिवानक | पता | आधित कार्यक्रम/ संस्था/परिवार कार्यक्रम, कोटि | बैंक एवं शाखा कार्यालय, आई. एफ.एस.सी | स्वीकृत अनुदान राशि राशि | मृत्यु/विमुक्तता का आदेश, वर्चय की प्रक्रिया |
|-------------|---|---|---|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | स्व० पंचा देवी, 45, पि० जाति | श्री श्यामसुदर यादव(पति) | 281/20. 06.19 | ग्रा०-लालपुर, पो०-मांगोबन्दर, था०+प्र०-खेंगा, जमुई | 34250100 002413 | बिहार ग्रामीण बैंक, मांगोबन्दर, PUNBOMBGB06 | ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, खेंगा बजटू |
| 2 | श्री राहु यादव, श्री निरो यादव, पि० जाति | स्वंय | 399/5.9. 19 | ग्रा०-गाहरिया, पो०-सरैन, था०+प्र०-चकाई, जमुई | 33296155 281 | भारतीय स्टेट बैंक, चकाई बाजार SBIN0014276 | ₹ 37500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए) | आशिक निःशक्तता, भवन विमीण बजटू |
| 3 | श्री सुधीर पासवान, स्व० प्रसादी पासवान, अनु० जाति | स्वंय | 400/5.9. 19 | ग्रा०-सरारी, पो०-दौलतपुर, था०+प्र०-जिंजी-जमुई | 34440110 058113 | बिहार ग्रामीण बैंक, मनीअड़ा, PUNBOMBGB06 | ₹ 37500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए) | आशिक निःशक्तता, राजमिस्त्री |
| 4 | स्व० राजीव रंजन सिंह, 34, श्री नन्दकिशोर सिंह, सामान्य | श्रीमती पुनम कुमारी(पत्नी) | 482/15. 11.19 | ग्रा०+पो०-कोनन, था०+प्र०-सिकन्दरा, जमुई | 40218100 017871 | बैंक ऑफ बहौदा, महादेव सिमरिया, BARBOJEMUIX | ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) | दुर्दाना मृत्यु, खेंगा बजटू ब्यासाय में कामगार बजटू |

कुल :- ₹ 205000/-

(दो लाख पाँच हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० स०-५१/२०१९ के पृष्ठ-०८/टी० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

(राम रूप प्रसाद)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-५१/२०१९

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

(राम रूप प्रसाद)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

कार्यकारी निदेशक।

ग्रन्ति क्रमांक - २५-१२-१९

ज्ञाप संख्या :- श्रम क्रम क्रम संख्या ३०-५१/२०१९-५६२

प्रतिलिपि :- सचिव बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 205000/- (दो लाख पाँच हजार रुपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

६०१९/३०२
(डा० गणेश कुमार ज्ञा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

६०१९/३०२
(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।